



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 560 राँची, मंगलवार, 21 भाद्र, 1945 (श०)
12 सितम्बर, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2023

संचिका सं०-02/कृ०गो०रा०-36/2021-3229--श्री एनतन एक्का, तत्कालीन उप कृषि निदेशक(सामान्य), कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, राँची द्वारा GR Case No.-231/2016 के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के न्यायालय में दिनांक-20.11.2021 को आत्मसमर्पण किया गया। जिसके उपरांत उन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-135 दिनांक-20.01.2022 द्वारा श्री एक्का को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक-20.11.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. श्री एक्का द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा BA No. 783 Of 2022 में दिनांक-25.03.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-29.03.2022 को बेल पर रिहा होने के उपरांत दिनांक-30.09.2022 को संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय, राँची में अपना योगदान समर्पित किया गया ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-980 दिनांक-04.05.2022 के द्वारा श्री एनतन एक्का, निलंबित उप कृषि निदेशक (सामान्य) को संयुक्त कृषि निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर परिक्षेत्र, राँची के कार्यालय में अपना योगदान देने के निदेश के साथ इनका निलंबन अवधि में मुख्यालय, कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक दक्षिणी छोटानागपुर परिक्षेत्र, राँची निर्धारित किया गया है ।

4. श्री एक्का द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उनकी सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक-31.12.2023 को देखते हुए निलंबन से मुक्त किया जाय ।

अतः श्री एक्का द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत श्री एनतन एक्का, तत्कालीन उप कृषि निदेशक(सामान्य), कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, राँची को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

- उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।
- निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार झा,
सरकार के उप सचिव ।
